

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर

क्रमांक-819/एफ-2-87/31/एस-2/2021,
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 26/02/2024

मुख्य अभियंता,
महानदी परियोजना,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- नारायणपुर (बस्तर) जिले के विकासखण्ड-बस्तर की अमलीगुड़ा एनीकट का तटरक्षण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।
संदर्भ :- प्रमुख अभियंता का पत्र क्र.-1486/बोधी/तटबंध/AA/2021/10735, नवा रायपुर, दिनांक 21.12.2021.

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा नारायणपुर (बस्तर) जिले के विकासखण्ड-बस्तर की अमलीगुड़ा एनीकट का तटरक्षण कार्य हेतु लागत राशि रु. 299.84 लाख (रुपये दो करोड़ निन्यानवे लाख चौरासी हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजना तटबंध निर्माण हेतु प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-23, जल संसाधन विभाग, लेखा शीर्ष 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय, [01]- बाढ़ नियंत्रण {103}-सिविल निर्माण कार्य, 0101-राज्य आयोजना (सामान्य) (6757)-बाढ़ नियंत्रण योजनाएं #26 वृहद निर्माण कार्य, 005 बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय के वित्त निर्देश 25/2012 अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 05.02.2024 में समिति की अनुशंसा एवं माननीय मंत्रीजी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. योजना की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(प्रमोद सिंह धरेन्द्र)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

पृ.क्रमांक- **820** / एफ-2-87 / 31 / एस-2 / 2021,

अटल नगर, दिनांक **26** / 02 / 2024

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
 3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 4. सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
 7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
 8. कलेक्टर, जिला-नारायणपुर/बस्तर (छ.ग.)।
 9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
 10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
 11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
 12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
 13. अधीक्षण अभियंता, इन्द्रावती परियोजना मण्डल जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.)।
 14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग टी.डी.पी.पी. जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.)।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. आदेश फोल्डर।


अवर सचिव

 छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग